

फर्द अहकाम

कजेट व बेनामि / दलितरायण व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर

केस संख्या

13/2023

मुख्यालय-जयपुर

(प्र.पा. आदेश 9 मघ 13)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	19/2/25	<p>पत्रावली प्रेषण के अतिरिक्त अन्य प्रश्न उपस्थित। उपरोक्त कारण की वृत्त प्रार्थनापत्र आदेश 9 मघ 13 के तर्कों पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अपलोडिंग किया। पत्रावली के अपलोडिंग व तर्कों के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि न्यायोत्पन्न दावा द्वारा प्रार्थनापत्र अर्थात् प्रार्थनापत्र (हाल प्रार्थनापत्र) की विधिवत उपस्थिति सुनिश्चित की जाकर तदनुसार प्रार्थनापत्र को जवाबदारी का समीचन सिद्धांत पर मूलवाद को पुनर्स्थापित किया गया है। जिसके अंगुलक्षण में मूलवाद में आगामी श्रद्धाओं व संदर्भ में भी हाल प्रार्थनापत्र (पटिवारागण) की उपस्थिति सुनिश्चित की जाकर तथा मूलवाद में हाल प्रार्थनापत्र पटिवारागण की उपस्थिति/वकालतनामा पत्रवली उपरान्त गिनामानुसार विधिक श्रद्धा व अंगुलक्षण के अन्तर्गत कारण की विस्तृत सूचनाओं की श्रद्धाओं उपरान्त अन्तर्गत श्रद्धाओं की श्रद्धाओं के दृष्टिकोण व श्रद्धाओं की विवेचनात्मक गुणवत्ता अंगुलक्षण उपरान्त निर्णय व निर्णय पत्रिका की गई है। जिसके संदर्भ में उक्त आपति सभ्य स्तर पर अभीष्ट है विषय है। जिसके अन्तर्गत विधिवत पारित निर्णय को 07 वर्षों उपरान्त प्रार्थनापत्र (आदेश 9 मघ 13) के आदेश पर अमान्य किंतु जने का कोई भी दायित्वपूर्ण आदेश नहीं होने से तथा उपरोक्त श्रद्धाओं के संदर्भ में अंतिम डिमांडिबिलि स्वल्प राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व के ही संभव हो जाने पर्याप्त प्रस्तुत होने से प्रार्थनापत्र का प्रार्थनापत्र आदेश 9 मघ 13 प्रोत्साहित नहीं होने से रकारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।</p> <p>पत्रावली प्रेषण 2 मघ 2023 को नभर से कम हो। बाकि तर्कों पर दायित्व पत्रावली</p>	

